

❖ सब्जी क्षेत्र विस्तार योजना

क्र	योजना	विवरण
1	उद्देश्य	गुणवत्तायुक्त अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों के माध्यम से चुनिंदा सब्जी फसलों के क्षेत्र विस्तार एवं उत्पादन में वृद्धि करना।
2	कार्यक्षेत्र	प्रदेश के संपूर्ण जिले।
3	चयनित फसलें	खरबूज, तरबूज, खीरा, ककड़ी, कमल गट्टा, सिंघाडा, बीजवाली समस्त सब्जी फसलें एवं अरबी आदि।
4	स्वरूप	<ol style="list-style-type: none"> 1. योजनान्तर्गत केवल उन्हीं कृषकों को सब्जियों की खेती के लिये प्रोत्साहित किया जायेगा जो वर्तमान में सब्जियों की खेती नहीं कर रहे हैं। 2. वनाधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त कृषक भी-इस योजना का लाभ लेने के लिये पात्र होंगे। 3. योजनान्तर्गत अनुदान एक कृषक को केवल एक ही बार देय होगा। 4. कृषक पहली बार जितने क्षेत्रफल में चाहे खेती कर सकता है परंतु अनुदान न्यूनतम 0.25 हेक्टेयर एवं अधिकतम 2.00 हेक्टेयर के लिये देय होगा।
5	कृषक की पात्रता	सभी वर्ग के कृषक।
6	अनुदान की पात्रता	<ol style="list-style-type: none"> 1. सब्जी फसलों में बीज की लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 10,000/- रुपये प्रति हेक्टेयर जो भी कम होगा अनुदान देय होगा। 2. जड़ एवं कंद वाली व्यावसायिक फसल अरबी आदि उत्पादन हेतु रोपण सामग्री की लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 30,000/- रुपये प्रति हेक्टेयर जो भी कम होगा अनुदान देय होगा।
7	हितग्राही चयन की प्रक्रिया	<ol style="list-style-type: none"> 1. कृषक को आधार नम्बर सहित ऑनलाईन आवेदन करना अनिवार्य है। 2. योजना का क्रियान्वयन कृषक की निजी भूमि में किया जावेगा। 3. हितग्राही के पास सिंचाई के पर्याप्त साधन उपलब्ध होना चाह 4. सामान्य, अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के हितग्राहियों हेतु पृथक-पृथक लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है। ऑनलाईनMPFSTS पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। 5. वनाधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त आदिवासियों को भी अनुदान की पात्रता होगी।
8	संपर्क	जिले के उप/सहायक संचालक उद्यान, विकासखण्ड स्तर पर व.उ.वि.अधि./ग्रा.उ.वि.अधि.
9	ऑनलाईन आवेदन	पात्र उम्मीदवार ऑनलाईन MPFSTS पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।
10	आवेदन हेतु दस्तावेज	फोटो, आधार, खसरा नंबर/B1/वन पट्टे की प्रति, बैंक पासबुक, जाति प्रमाण पत्र

